

प्रारूप— एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचना


क्रमांक 153.26./भू—अर्जन/2016, कोरबा, दिनांक 14/12/16 भूमि अर्जन/पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	विजयपुर	1.38 एकड़	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21.12.2016 को समय—12.00 बजे से स्थान—प्राथामिक पाठशाला कुंभीपानी पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

- 1 लोक प्रयोजन का सक्षिप्त विवरण : कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
- 2 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 02 परिवार
- 3 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 02 परिवार
- 4 प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित : निरंक संख्या
- 5 प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की : निरंक अनुमानित संख्या
- 6 क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हॉ
- 7 क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है : हॉ ?
- 8 परियोजना की कुल लागत : ₹. 5607.66 लाख
- 9 परियोजना से होने वाले लाभ : परियोजना से 1991 हेठो में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। परियोजना से कुल 21 ग्राम लाभान्वित होगे।
- 10 प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर : प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये रांगावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
- 11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/रांगा या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(पी. सधानांद)

कलेक्टर

जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

- 01— सचिव,छ०ग०शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02— अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
- 03— आयुक्त,नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 04— नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगाँव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-१ में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 05— कार्यपालन अभियंता,जल संसाधन संभाग कोरबा की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा का उपलब्ध करावे।
- 06- प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ०ग०शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 07— तहसीलदार कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय,अनुविभाग कार्यालय, एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करे।
- 08— सचिव,ग्राम पंचाय विजयपुर तहसील कटघोरा जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चर्चा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करे।

(पी०द्यानंद)

कलेक्टर

जिला-कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग